न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44 / 2025 (अपील)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025 / 110

उनवान

रामीबाई पत्नी स्व0 नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील कनवास,जिला कोटा (राज.)

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– शंकर पुत्र पन्ना जर्ये पुत्र रामलाल जाति बलाई निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील कनवास,जिला कोटा।

5– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार तहसील कनवास,जिला कोटा ।

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री भरत कुशवाह (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. सरकार पैरोकार

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार कनवास आदेश दिनांक 19.03.2024 बउनवान शंकर बनाम भोजराज

निर्णय_ दिनांकः– 13/11/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं0 877 रकबा 0.55 है0 ख.न. 890 की रकबा 0.55 है0 खसरा नम्बर 892 रकबा 0.20 है0 कुल किता 3 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम लाडपुरा तकसील कनवास में स्थित है। पास में ही विवादित आराजी खसरा नम्बर 887 रकबा 0.81 है0,ख.न. 888 रकबा 0.07 है0 ख.न. 889 रकबा 0.12 है0 ख.न. 891 रकबा 0.30 है0 कुल किता 4 रकबा 1.30 है भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम होना दर्ज होना बताया गया है उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा कभी काश्त आदि नही किया गया है लेकिन वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट,अपीलान्ट को उसकी खातेदारी एवं काश्त की भूमि पर से बेदखल करने पर आमादा है जबकि अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपने पति के जीवनकाल से काबिज काश्त एवं शान्तिपूर्ण रूप से निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है,जिसमें किसी प्रकार की कोई अडचन रेस्पोडेन्ट द्वारा नही की गई और इन तथ्यो को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादति आराजी पर फूलचन्द ,सुरजमल,बृजमोहन,पुत्रान केसरीलाल जाति गुंर्जर,रामबक्श पुत्र गोकुल जाति गुर्जर भोजराज गुर्जर का कब्जा होना बताया गया है लेकिन अपने निर्णय में यह स्पष्ट नही किया गया है किस विशिष्ट व्यक्ति कितनी भूमि पर कितना कितना कब्जा है। ऐसी स्थिति में ऐसे अस्पष्ट आदेश एवं निर्णय की पालना में अपीलान्ट को बेदखल किया गया तो अपीलान्ट की फसल धान नष्ट को जावेगी

उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 2.6.2025 को जब प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने के लिए धमकाया तब उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को प्राप्त हुई। अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त करने पर उक्त अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक् है जिसके लिए अलग से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय दिनांक 19.3.2024 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे अथवा विकल्प में प्रतिप्रेषित किया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी जर्ये रजिस्ट्रर्ड ए.डी. समन्न से करवाई गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त हुआ । अधीपस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया ।

पत्रावली मे वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 12.06.2025 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुई है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर होना अंकित किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में दौराने बहस वकील अपीलांन्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर देते हुए नियमों के विरूद्व जाकर गैरकाननूी निर्णय पारित किया गया है,जिसे निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रैंषित किया जावे कि अधीनस्थ न्यायालय पुनः अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करे।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

पत्रावली में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील रामीबाई पत्नी स्व0 बेवा0 नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाडपुरा तह. कनवास द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कनवास द्वारा दिनांक 19.3.2024 को पारित निर्णय में भोजराज पुत्र स्व0 नन्दकिशोर को पक्षकार बनाया जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 नन्दकिशोर को भी सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विवादित आराजीयात् पर अन्य व्यक्तियो को भी अतिक्रमण होना अंकित किया है। किन्तु उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट नही हो पाता है कि किस व्यक्ति का कोनसे खसरा नम्बर की कितनी भूमि पर किस व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण भोजराज द्वारा प्रस्तुत जवाब में खातेदारी की भूमि के अलावा अन्य किसी भी भूमि पर अतिक्रमण न होना अंकित करते हुए खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने के बाद शेष बची हुई भूमि को छोडने का कथन किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उक्त तथ्यो के संबध में कोई टिप्पणी नही की गई है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2024 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कनवास को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अंकित सभी तथ्यो को ध्यान में रखते हुए व पक्षकारान् को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुए विधिवत रूप से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13/11/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा